BSES

# बिजली चोरी कर रहे फैक्ट्री मालिक पर डेढ़ करोड़ का जुर्माना, जेल

नई दिल्लीः 10 दिसंबर, 2009। बिजली चोरी के दो अलग–अलग मामलों में स्पेशल कोर्ट ने तीन लोगों को तिहाड़ जेल भेज दिया। इनमें से दो लोगों ने तो बीएसईएस एन्फोर्समेंट टीम पर हमला भी किया था। बिजली चोरी के जुर्म में इन लोगों पर करीब 2 करोड़ 60 लाख रूपये का जुर्माना किया गया था। इनकी जमानत अर्जी भी स्पेशल कोर्ट ने खारिज कर दी है।

- <u>जींस एनोडाइजिंग फैक्ट्री के मालिक पर डेढ़ करोड़ का जुर्माना, जेल</u>

बीएसईएस एन्फोर्समेंट टीम को गुप्त सूत्रों से यह सूचना मिली थी कि के–4, गली नंबर–1, इंदिरा गली, गामरी रोड, घोंडा में जींस एनोडाइजिंग फैक्ट्री चल रही है, जिसमें बड़े पैमाने पर बिजली की चोरी हो रही है। इस सूचना के आधार पर एन्फोर्समेंट टीम ने योजनाबद्ध तरीके से फैक्ट्री पर छापा मारा और बिजली की सीधी चोरी पकड़ी। वहां औद्योगिक उद्देश्यों के लिए 203 किलोवॉट बिजली की चोरी हो रही थी। निकट से गुजर रही बीएसईएस की तारों पर कटिया डालकर बिजली की चोरी की जा रही थी। मौके पर बिजली का कोई मीटर नहीं मिला।

19 जनवरी, 2009 को यह छापा पड़ा था। जैसे ही छापा शुरू हुआ, आरोपी अपने कुछ मित्रों व संबंधियों के साथ बीएसईएस एन्फोर्समेंट टीम पर हमला कर, कर्मियों को घायल कर दिया। उसके बाद और भी अधिक संख्या में पुलिस बुलाई गई और छापे की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। लेकिन अधिक संख्या में पुलिस बल को आता देख, आरोपी निर्भय शर्मा मौके से भाग गया।

छापे के बाद बीएसईएस ने भारतीय बिजली कानून के मुताबिक, आरोपी पर 1 करोड़ 55 लाख रूपये का जुर्माना किया, लेकिन आरोपी ने जुर्माने की राशि का भुगतान नहीं किया। उसके बाद, बीएसईएस ने इस सिलसिले में दो एफआईआर दर्ज करवाईं। एक एफआईआर तो बिजली की चोरी के संदर्भ में था, जबकि दूसरा एन्फोर्समेंट टीम पर हमला करने से संबंधित।

30 नवंबर, 2009 को पुलिस आरोपी निर्भय शर्मा को गिरफ्तार करने में कामयाब हो गई। पुलिस ने पटपड़गंज स्थित बिजली की स्पेशल कोर्ट में निर्भय शर्मा को पेश किया, जहां से उसे तिहाड़ जेल भेज दिया। यही नहीं, उसकी जमानत याचिका भी अब खारिज कर दी गई है।

- <u>आइसक्रीम फैक्ट्री मालिक सलाखों के पीछे, 10 लाख जुर्माना</u>

न्यू सीलमपुर में आइसक्रीम फैक्ट्री चलाने वाले दो भाइयों – हरीश उर्फ पप्पू और सुरेंदर उर्फ बिट्टू को पटपड़गंज स्थित बिजली की स्पेशल कोर्ट ने बिजली चोरी के आरोप में जेल भेज दिया है। 107–108, एच ब्लॉक, न्यू सीलमपुर स्थित इनकी आइसक्रीम फैक्ट्री पर 30 सितंबर को बीएसईएस एन्फोर्समेंट टीम ने छापा मारकर 47 किलोवॉट की बिजली चोरी पकड़ी थी। यहां भी बीएसईएस की तारों पर कटिया डालकर बिजली की चोरी की जा रही थी। आरोपियों पर करीब 9 50 000 रूपये का जुर्माना किया गया। जुर्माने का भुगतान न होने पर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई।

9 दिसंबर को सीलमपुर पुलिस आरोपियों को पकड़ने में कामयाब हो गई। आरोपियों को स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें तिहाड़ जेल का रास्ता दिखा दिया गया। हालांकि आरोपियों ने अपने बचाव में काफी कुछ कहा, और अदालत से जमानत देने का अनुरोध किया, लेकिन बीएसईएस की दलीलों के आगे उनकी एक न चली। अदालत को जब यह पता चला कि आरोपी आदतन बिजली चोर हैं और, इस आरोप में पांचवीं बार उन्हें पकड़ा गया है, तो अदालत ने नरमी नहीं दिखाई और उन्हें जेल भेज दिया।

*दिल्ली की प्रमुख बिजली वितरण कंपनी बीएसईएस अपने उपभोक्ताओं को गुणवत्तायुक्त बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।*

अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें: प्रशान्त दुआ
कॉरपोरेट कम्युनिकेशंस– 39999870 / 9312007822

चंद्र पी कामत
कॉरपोरेट कम्युनिकेशंस– 39999642 / 9350130304